प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़ दिनाँकः- 24.05.2023

गैगेस्टर अनुपम दुबे व सदस्यो की अचल सम्पत्ति कुर्क किये जाने बावत

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री अशोक कुमार मीणा व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के मार्गदर्शन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मऊदरवाजा पुलिस के द्वारा कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 899/2021 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट में नामित अभियुक्तगण अनुपम दुबे (गैंगलीडर) पुत्र स्व0 महेशचन्द्र निवासी म0नं0 1/36 मोहल्ला कसरट्टा, फतेहगढ़ द्वारा अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने परिजन एवं सहयोगियों के नाम अवैध एवं अनैतिक रूप से ट्रस्ट सम्पत्ति वक्फ श्री हनुमान जी महाराज, विराजमान मन्दिर, बाग नम्बर 436 ग्राम अर्रापहाड़पुर परगना पहाड़ा तहसील सदर जनपद फतेहगढ़ अर्जित की गयी है। पुलिस आख्या के अनुसार कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 899/2021 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट में नामित अभियुक्तगण अनुपम दुबे (गैगलीडर) पुत्र स्व0 महेश चन्द्र दुबे निवासी म0नं0 1/36 मोहल्ला कसरट्टा कोतवाली फतेहगढ आदि द्वारा अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने परिजन एवं सहयोगियों के नाम अवैध अनैतिक रूप से ट्रस्ट सम्पत्ति वक्फ श्री हनुमान जी महारज विराजमान मन्दिर, बाग नम्बर 436 ग्राम अर्रापहाड़पुर परगना पहाड़ा, तहसील सदर जनपद फतेहगढ़ की वसीयती ट्रस्ट संपत्ति ट्रस्टीगण जगदीश चंद्र आदि निवासी मोहल्ला बाग कूचा शहर व जनपद फतेहगढ़ को राज्य स्तरीय माफिया व अभियुक्त अनुपम दुबे एवं उसके गिरोह के सदस्यों ने अपनें सहयोगिंयो रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र मंगू लाल व अभिषेक पुत्र महेशचन्द्र निवासीगण निगोह खास तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज व अनुराग तिवारी पुत्र ओमप्रकाश निवासी रंधीरपुर, थाना कोतवाली छिबरामऊ जनपद कन्नौज के नाम पूर्व नियोजित षडयंत्र, छल व कपट कर फर्जी तरीके से मृतक ट्रस्टीगणों के हितों के खिलाफ चकबंदी अधिकारी अंतिम अभिलेख नई ईकाई देवरामपुर जनपद फतेहगढ़ में कर्मचारियों की मदद से उक्त भू माफियाओं के नाम दर्ज करवाकर, अपने आपराधिक सहयोगिंयों के द्वारा ट्रस्ट संपत्ति कूट रचित प्रपत्रों के आधार पर कई बैनामें कर दिए गये। इस संबंध में जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में दिनांक 08.06.2012 को एक इकरारनामा प्रथमपक्ष विक्रेतागण श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री मंगूलाल व अभिषेक पुत्र श्री महेश निवासीगण निगोह खास तहसील छिवरामऊ जिला कन्नौज व अनुराग पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी रंधीरपुर परगना व तहसील छिबरामऊ, जिला कन्नौज के द्वारा क्रेतागण 1.श्री संजीव गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता निवासी अण्डियाना फर्रूखाबाद 2. श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्यामबाबू गुप्ता निवासी राजेपुर राठौरी तहसील अमृतपुर

जनपद फतेहगढ़ के पक्ष मे बाबत गाटा सं0 926/0.342 , 927/0.130 , 929/0.154, 997/0259, 1001/1.450, 1002/1.245 व 1004/0.010 कुल क्षेत्रफल 4.381 हे0 की बिक्री के एक वर्ष के लिये कर दिया था। दूसरा इकरारनामा दिनांक 11.06.2013 को प्रथमपक्ष विक्रेतागण श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री मंगू लाल व अभिषेक पुत्र श्री महेश निवासीगण निगोहखास तहसील छिबरामऊ जिला कन्नौज व अनुराग पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी रंधीरपुर परगना व तहसील छिबरामऊ जिला कन्नौज के द्वारा क्रेतागण अनुराग दुबे पुत्र स्वर्गीय श्री महेश चन्द्र दुबे निवासी 1/36 कसरट्टा फतेहगढ़ श्रीमती शिवांगी पुत्री श्री गोपाल दास निवासी नाई की मंण्डी आगरा, राजीव रस्तोगी पुत्र स्व0 श्री ज्योती स्वरूप रस्तोगी निवासी रस्तोगियान फर्रुखाबाद व अनिल पुत्र श्री भगवानदीन निवासी साईपुर बांगरमऊ तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, कौशल यादव पुत्र श्री राधाकृष्ण यादव निवासी खतराना फर्रुखाबाद, सुभाषचन्द्र पुत्र स्व0 श्री गिरजाशंकर निवासी मेरापुर गुजराती जिला मैनपुरी व श्रीमती मिथलेश पुत्री श्री रामसेवक निवासी देवीरोड मैनपुरी के पक्ष मे बावत गाटा सं0 926,927,929,997,1001,1002,1004 क्षेत्रफल 4.381 हेक्टेयर की बिक्री के 01 वर्ष की मियाद पर कर दिया । पुनः उक्त पक्षकारों द्वारा दिनांक 09.06.2014 को उक्त इकरार नामा की मियाद पुनः 28 दिन के लिए बढ़ाने के निमित एक अन्य इकरारनामा किया गया और फिर दिनांक 05.06.2015 को उक्त पक्षकारों द्वारा उक्त इकरारनामा की मियाद 02 वर्ष बढ़ाने के लिए तीसरा इकरारनामा किया गया। उल्लेखनीय है कि इकरानामों में क्रेतापक्ष के रूप में दर्ज अनुराग दुबे पुत्र स्वर्गीय महेश चन्द्र दुबे राज्य स्तरीय माफिया अनुपम दुबे का सगा भाई है और उसके गिरोह का सक्रिय सदस्य है, शेष अन्य व्यक्ति इनके सहयोगी है। इसी दौरान दिनांक 27.12.2013 को विक्रेतागण रमेश चंद्र पुत्र मंगूलाल, अभिषेक पुत्र महेश चंद्र व अनुराग तिवारी पुत्र ओमप्रकाश उपरोक्त द्वारा उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या 1002 व 1004 क्षेत्रफल 1.245 हेक्टेयर में से ¼ भाग क्षेत्रफल 0.314 हेक्टेयर को क्रेतागण श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री लल्लू सिंह उर्फ लालाराम निवासी नगला भन्त पोस्ट परौख, जिला मैनपुरी संजीव कुमार पुत्र श्री गौरीशंकर निवासी वंशी गौरा, पोस्ट व जिला मैनपुरी व प्रवीन कुमार पुत्र श्री सुरेश बाबू गुप्ता निवासी 208 करहल रोड छपट्टी मैनपुरी को कर दिया। पुनः विक्रेता गण रमेशचन्द्र पुत्र मंगूलाल, अभिषेक पुत्र महेश चंद्र व अनुराग पुत्र ओमप्रकाश उपरोक्त द्वारा उपरोक्त भूमि के गाटा सख्या 1001 क्षेत्रफल 1.450 हेक्टेयर में से 1/9 भाग क्षेत्रफल 0.1611 हेक्टेयर को क्रेतागण श्री घनश्याम सिंह पुत्र श्री शिवदयाल सिंह निवासी रठैरा पोस्ट टिन्डौली मैनपुरी व श्री शंभूशरण पुत्र श्री बाबूराम निवासी नगला मूले पोस्ट धारऊ मैनपुरी के नाम विक्रय कर दिया उसके बाद दिनांक 17.06.2014 को विक्रेतागण रमेश चन्द्र, अभिषेक व अनुराग द्वारा क्रेता श्री प्रभात कुमार गुप्ता पुत्र श्री स्व0 ओमप्रकाश गुप्ता 5/18 महावीरगंज द्वितीय फर्रुखाबाद के नाम गाटा सं0 926,927,929 कुल क्षेत्रफल 1.417 में से 0.202 हैक्टेयर बिक्री कर दिया। पुनः दिनांक 01.01.2015 को विक्रेतागण रमेशचन्द्र अभिषेक व अनुराग द्वारा क्रेता श्री प्रभात कुमार

गुप्ता पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश गुप्ता नि0 5/18 महावीरगंज द्वितीय फर्रुखाबाद व श्री दिवारीलाल मेमोरियल कैरियर इस्टीट्यूट द्वारा अध्यक्ष डा0 प्रभात कुमार गुप्ता उपरोक्त के नाम गाटा सं0 926,927,929 का शेष 1.114 हैक्टेयर बिक्री कर लिया गया जिसको प्लाटिंग करते हुये उक्त गिरोह के सदस्यो द्वारा डा0 प्रभात गुप्ता उपरोक्त से विभिन्न क्रेताओ के नाम विक्रया कराया जा रहा है इस बात के पूर्ण साक्ष्य है कि उपरोक्त भूखण्ड जो मूल रूप से श्री हनुमान विराजमान ट्रस्ट की सम्पत्ति है को उपरोक्त भूमाफियाओं के द्वारा फर्जी दस्तावेजों व सरकारी दस्तावेजो में जालसाजी कर अपने गिरोह के सहयोगियों के नाम अंकित कराया गया तथा उक्त माफिया डा0 अनुपम दुबे व उसके गिरोह के अन्य सदस्यो के द्वारा संगठित रूप से गिरोह बनाकर अपराध कर अवैध रूप से अर्जित धन को उक्त भूखण्ड की प्लाटिंग में निवेश किया गया है। व उक्त भूखण्डो को पुनः अपने आपराधिक सहयोगियों के नाम से अन्तरित किया गया है । जो वास्तव में अनुपम दुबे के गिरोह के सदस्यो की बेनामी सम्पत्ति है । अभियुक्तो द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति जो फर्रुखाबाद चुंगी नखासा से रेलवे क्रासिंग जाने वाली सड़क के किनारे स्थित है को व्यवसायिक रूप से बेशकीमती सम्पत्ति है को प्लाटिंग कर स्क्वायर मीटर की दर से बिक्री कर धन अर्जित किया जा रहा है। जिसका उपयोग गिरोह के आपराधिक गतिविधियो को संचालन करने में किया जा रहा है । इस सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क किया जाना जनहित मे आवश्यक है । उक्त सन्दर्भ उपरोक्त सम्पत्ति के क्रेतागण व विक्रेतागण प्रभात कुमार गुप्ता आदि को अन्तर्गत धारा 160 द0प्र0सं0 का नोटिस जारी कर स्वपक्ष प्रस्तुत करने व क्रेय की गयी सम्पत्ति पर खर्च की गयी धनराशि के स्रोत के बाबत अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है किन्तु उनके द्वारा कोई भी सन्तोष जनक उत्तर नहीं दिया जा सका है और न ही कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत किया जा सका है। जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि उपरोक्त प्रभात कुमार गुप्ता आदि के नाम दर्ज उपरोक्त अचल सम्पत्तियाँ अभियुक्तगण अनुपम दुबे व अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के गिरोह द्वारा अपराध से अर्जित की गयी बेनामी सम्पत्ति है । उक्त जाँच आख्या व रिपोर्ट के क्रम में माननीय न्यायलय जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के आदेश बाद सं0 15/2023 दिनांकित 18.05.2023 के अनुपालन में तहसीलदार सदर श्रीमती ऋद्धा पाण्डेय मय प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा व हमराह पुलिस बल के द्वारा आज दिनांक 24.05.2023 को उक्त भूमि पर जाकर कुर्की कार्यवाही नियमानुसार की गयी ।

विलेख में दी गयी सम्पत्ति का मूल्यांकन वर्तमान सूची के अनुसार-

70,09,60,000 (सत्तर करोड़ नौ लाख साठ हजार) कीमत की भूमि को आज दिनांक 24.05.2023 को नियमानुसार कुर्क किया गया।

2- सैनिक
3- जन प्रतिनिधियो की बैठक
4- केन्द्रीय कारागार का निरीक्ष
5- जिला कारागार का निरीक्षण
6- मानीटरिंग सैल की बैठक
Shot on vivo Z1Pro
Vivo AI camera

Nikhil

B.A.M.S.

UP30BH3336